कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, रांची–834002,Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjhk@jharkhandmail.gov.in

पत्रांकः IIE-19(A) III 29/16-488 - 544 रांची, दिनांकः 16·2·16

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी,
उत्तरी छोटानागपुर, पलामू, हजारीबाग।
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, निदेशक प्रसार वानिकी,
दक्षिणी छोटानागपुर, रांची/दुमका।
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रांची/जमशेदपुर/हजारीबाग।
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण,
झारखण्ड, रांची।
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/दुमका/बोकारो।
मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, झारखण्ड, रांची।
मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना,
डालटनगंज।
मुख्य वन संरक्षक, वन रोपण शोध एवं मूल्यांकन अंचल, रांची।
मुख्य वन संरक्षक, राज्य वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, रांची।

विषयः प्रत्येक सप्ताह बृहस्पतिवार को विडियो कांफ्रेस करने के संबंध में।

प्रसंगः इस कार्यालय का पत्रांक–488 दिनांक–12.02.2016 एवं पत्रांक– 523 दिनांक–15.02.2016

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सूचित करना है कि दिनांक 18.02.2016 को आयोजित होने वाली निर्धारित विडियो काफ्रेंसिंग अपरिहार्य करणों से स्थगित की जाती है। विडियो काफ्रेंसिंग अब दिनांक 19.02.2016 को पूर्वाहन 11:00 बजे से आयोजित होगी।

इस विडियो काफ्रेंसिंग में योजना मद में खर्च की गई राशि की समीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त निम्न तीन बिन्दुओं की भी समीक्षा की जाएगी :–

1. संयुक्त वन प्रबंधन समिति के खाते में जमा की राशि का प्रमंडलवार ब्यौरा, इससे संबंधित सूचना का संकलन। (उक्त सूचना इस कार्यालय का पत्रांक 2940 दिनांक 07.09.2015 के साथ प्रेषित प्रपत्र में दी जाय)
2. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक अपने–अपने रीजन से संबंधित अधिसूचित वन भूमि की विवरणी प्रमंडलवार एकत्रित कर लेंगे और विडियो काफ्रेंसिंग में प्रमंडलवार कुल रकबा अवगत करायेंगे। मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, रांची एवं मुख्य वन संरक्षक सह–क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटनगंज भी अपने–अपने अधीन प्रमंडलों में अधिसूचित वन भूमि संबंधी विवरणी

विडियो कार्फ्रेसिंग में अवगत करायेंगे। सभी संबंधित पदाधिकारी इसकी लिखित सूचना भी दिनांक–19.02.2016 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

3. लंबित लेखा समर्पित करने के संबंध में अद्यतन स्थिति।

रांची मुख्यालय स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के सभाकक्ष में निर्धारित समय में उपस्थित रहेंगे और अन्य सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी अपने–अपने कार्यालय के जैप0आई0टी0 कक्ष में निर्धारित तिथि एवं समय में विडियो कार्फ्रेसिंग हेतु उपस्थित रहेंगे।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक: IIE-19(A) III 29/16-488 544 **दिनांक :** 16.2.16

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक: IIE-19(A) III 29/16-488 – 544 **दिनांक :** 16.2.16

प्रतिलिपि: विशेष कार्य पदाधिकारी, जैप आई0टी0 झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विडियो कांफ्रेस कराने हेतु उचित व्यवस्था करते हुए तकनीकी कर्मी को पूर्वाहन 11:00 बजे प्रधान मुख्य वन संरक्षक सभागार कक्ष में भेजने की कृपा करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक: IIE-19(A) III 29/16-48 – 544 **दिनांक :** 16.2.16

प्रतिलिपि: Envis Centre, Ranchi को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/2/16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।